Comments on Draft of New Industrial Policy-2012 of Uttar Pradesh are invited urgently

ALL Members of IIA,

Dear all,

Department of Industrial Development Govt. of UP has prepared a Draft of **New Industrial Policy-2012 of UP**. The draft Policy is attached herewith on which your valuable comments are invited.

All members are therefore requested to send their comments on the draft of New Industrial Policy-2012 of UP latest by 21st May 2012. Comments so received will be compiled and discussed on 25th May 2012 in CEC Meeting and will have to be forwarded to the Government latest by 28th May 2012. As such an urgent action / feedback is needed.

Regards

Manish Goel

General Secretary

Indian Industries Association

IIA Bhawan, Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow-226010

Ph: +91-522-2720090, +91-522-3248178 Fax: +91-522-2720097

Website : www.iiaonline.in

Note: Use E-mails - Save Paper - Protect Trees & Go Greener

प्रस्तावित अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2012

अध्याय 1 – प्रस्तावना

बारहवी पंचवर्षीय योजना में वृहत्तर औद्योगिक विकास – अर्थात् राज्य में समान रूप से वितरित एवं श्रम परक औद्योगिक विकास, प्राप्त करने पर बल दिया गया है, ताकि व्याप्त बेरोज़गारी और गरीबी को दूर किया जा सके। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 10 प्रतिशत औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाये रखने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, अवस्थापना एवं सेवा क्षेत्र में वृहद स्तर पर निवेश कराये जाने होगे। बारहवी पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य में औद्योगिक विकास को द्रुतगामी गति प्रदान करनी होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य के औद्योगिक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए वृहत्तर सुधार प्रस्तुत किये जायें।

उत्तर प्रदेश अपने भीतर समाहित 19.95 करोड़ जनशक्ति की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे महत्त्वपूर्ण राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश अलग से एक देश होता तो दुनिया का पॉचवां सबसे बडा देश होता। ऐसे बृहद राज्य का समेकित विकास राष्ट्र के विकास के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश में यह सबसे बडा उपभोक्ता बाजार भी है। अतः इसके आर्थिक विकास तथा परिणामिक क्रय शक्ति के विकास का लाभ पूरे देश की औद्योगिक इकाईयों को भी होता है। भारत के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। समृद्व प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु एवं उपजाऊ भू–सम्पदा से युक्त उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बडा प्रदेश है और पूरे देश के 09 प्रतिशत भू–भाग में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं जनजीवन, परम्पराओं एवं आधुनिकता का विलक्षण संगम है। राज्य की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि प्रदेश के 70 प्रतिशत कर्मकारों को रोजगार प्रदान करती है एवं इसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत योगदान है। अनेक कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल के उत्पादन में यह देश का अग्रणी राज्य है। उद्योगों के उपयोग के लिए प्रदेश में भूमि और जल जैसे मूल संसाधनों की प्रचुर उलपब्धता है। प्रदेश में खनिज, पशुधन, दक्ष एवं सामान्य श्रेणी के मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सम्पूर्ण राज्य में सड़कों तथा रेल–मार्गो का व्यापक एवं विस्तृत जाल विछा हुआ है तथा विभिन्न स्थानों पर हवाई परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है।

यह स्थापित सिद्धान्त है कि अग्रेतर विकास के लिए, अर्थव्यवस्था में कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) से उद्योग (माध्यमिक क्षेत्र) व इसके बाद उद्योग से सेवा–सृजन (तृतीय क्षेत्र) की ओर संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। अतः किसी भी विकासोन्मुखी राज्य की नीति उद्योगों व सेवा–सृजन को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से नवीन नीति में उद्योग व सेवा क्षेत्र दोनो में पूॅजी निवेश हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसी सिद्धान्त के परिपालन में अध्याय–2 में प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कतिपय प्रयासों को प्राथमिकता पर करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिकता के क्षेत्र

उद्यमिता विकास हेतु उद्यमियों के दृष्टिगत् नीतियों का सरलीकरण

उद्योगों के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमियों पर विश्वास करते हुए वर्तमान नियमों को उद्योगों के विकास के लिए और अधिक अनुकूल व सरलीकृत बनाया जाए, विशेष रूप से निरीक्षणों व नियमों के अधीन आवश्यक प्रतिपालन सुनिश्चित करने के संबंध में स्व–प्रमाणन एवं तृतीय पक्ष से प्रमाणन देने की व्यवस्था की जाये। नई निवेश नीति में इसी का प्रयास किया गया है।

ई–गर्वेनेन्स को प्रोत्साहन

षिक्षा तथा शासकीय सेवाओं में ई–गर्वेनेन्स को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे नागरिक सुविधाओं की सुगमता से पूर्त्ति हो सके। उद्योग बन्धु को सुदृढ़ीकरण करते हुए उद्यमियों को ई–गवर्नेन्स के अंतर्गत निवेश मित्र के माध्यम से समयवद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जायेगी एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण में भी ई–गवर्नेन्स का अधिकाधिक प्रयोग कराया जायेगा।

अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

राज्य सरकार उद्योग, व्यापार, वाणिज्य व सेवा उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि समुचित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाये। इसी के दृष्टिगत निजी क्षेत्र को राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। राज्य सरकार, यथासंभव, अवस्थापना सुविधाओं का विकास निजी/संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी से सुनिश्चित करेगी किन्तु, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं क्रिटीकल क्षेत्रों में निजी/संयुक्त क्षेत्र में निवेश संभव नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार ऐसी अवस्थापना सुविधाओं को स्वयं स्थापित करेगी।

नए पूँजी निवेश क्षेत्रों को प्रोत्साहन

उद्योगों में कई नए क्षेत्र, यथा– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य–प्रसंस्करण, सौर उर्जा इत्यादि उभर कर आये हैं, जिनमें निवेश की अपार सम्भावनाऐं हैं। इन नए क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों को कतिपय सुविधाऐं प्रदान करने की नीति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग पालिसी के प्राविधानो के अन्तर्गत नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इवेस्टमेन्ट जोन की स्थापना का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की ओर से इन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों तथा नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इवेस्टमेन्ट जोन में केन्द्र सरकार के नीतियों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। आवश्यकतानुसार इसी प्रकार के और क्षेत्र भी विकसित किये जाएंगे।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना तथा दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना प्रदेश कई जनपदो से होकर गुजरेगी। इन जनपदों में लॉजिस्टिक हब का विकास कराया जायेगा। उद्योगो की आवश्यकताओं के दृष्टिगत् औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों का विकास निजी क्षेत्र में कराये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्र आदि सकल घरेलू उत्पाद व मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण अंश माने गये है। इन क्षेत्रों में अधिकाधिक पूँजी निवेश आकृष्ट करने का राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा। पर्यटन क्षेत्र में डिस–इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अलाभकारी पर्यटक गृहो को निजी क्षेत्र में दिये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कि प्रदेष के पर्यटन उद्योग विकासोन्मुखी हो सके।

देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश की 45% भागीदारी है। हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रमुख शहरों एवं कस्बों का क्लस्टर में समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा तथा विभिन्न योजनाओं जैसे – एसाइड योजना, सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना, सूक्ष्म, लघु तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत अवस्थापना, विपणन, डिज़ायन एवं पैकेजिंग का विकास किया जाएगा।

प्रतिस्पर्धा के युग में लघु उद्योगों को वायबेल बनाने के लिये राज्य सरकार आधुनिक मशीनों की स्थापना हेतु तथा नई तकनीक के क्रय एवं बी.आई.एस. प्रमाणीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

ऐसे उद्योगों को, जो मूलतः आर्थिक दृष्टि से वायबल हैं किन्तु विभिन्न कारणों से रूग्ण हो गए हैं, को पुनर्वासित व पुनर्जीवित किया जायेगा। स्थायी रूप से बन्द इकाईयों के लिये इक्जिट पालिसी/प्रक्रिया को निर्धारित किया जायेगा।

बहु–आयामी नीति

राज्य सरकार का उद्देश्य मात्र उद्योगों में निवेश सुनिश्चित करना नहीं अपितु समस्त क्षेत्रों – अवस्थापना, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य व सेवाओं, में निवेश को आमंत्रित करना भी है इसी के दृष्टिगत राज्य की अवस्थापना, औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2012 घोषित की जा रही है।

इस नीति में उल्लिखित समस्त सुविधाओं/रियायतों/प्राविधानों हेतु राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से विस्तृत मानक, शर्तें, प्रक्रियाएं तथा लागू होने की तिथि निर्धारित करते हुए आदेश निर्गत किये जायेंगे और इन निर्गत आदेशों के अनुरूप ही सुविधाएं/रियायतें/प्राविधान लागू होंगे। उद्योग बन्धु द्वारा इन आदेशों को संकलित रूप में इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय 2 – उद्देश्य एवं रणनीति

उद्देश्य

राज्य के सकल विकास के लिए उद्योग, व्यापार, वाणिज्य व सेवा क्षेत्र को गति प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी नीति के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाये। इस नई नीति से 12वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति प्रस्तावित है :–

1. औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 10 प्रतिशत प्राप्त करना।
2. प्रति वर्ष 25 लाख नए रोज़गारों का सृजन करना।
3. देश में पूँजी–निवेश के लिये इच्छुक निवेशकर्त्ताओं के लिये प्रदेश को सबसे अधिक आकर्षक गंतव्य राज्य बनाना।
4. राज्य के समस्त क्षेत्रों में पूँजी–निवेश का लाभ पहुँचाना।

रणनीति

अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन

प्रदेश के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। निजी आर्थिक गतिविधि की अभिवृद्धि एवं उद्यमिता के पोषण में, राज्य भी अपनी सहयोगी की भूमिका को स्वीकार करता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य, उद्योगों के साथ एक सार्थक संवाद एवं सहभागिता का रिश्ता विकसित करेगा एवं उद्योग को राज्य की आर्थिक नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन में सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगा। निवेशकों में विश्वास दिखाने और उद्यमिता को सफल बनाने हेतु वातावरण का निर्माण करने पर बल दिया जायेगा।

राज्य सरकार उद्यमियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक है। विगत वर्षो में प्रारम्भ किये गये आर्थिक सुधारों को और अधिक तेजी से आगे ले जाने की आवश्यकता है। राज्य में निवेश के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमिता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाये। इस दिशा में, समस्त नियमों का अध्ययन कर उनको सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाया जायेगा जिनमें स्वतः प्रमाण पत्र व तृतीय पक्ष (थर्ड–पार्टी) प्रमाण पत्र दिये जाने की, की गयी व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।

उद्योगो की आवश्यकताओं के दृष्टिगत् औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक आस्थान का विकास निजी क्षेत्र में भी किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के विकास पर बल

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही वे समाज को विविध प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो समाज के लिये आवश्यक है। राज्य सरकार इस सेक्टर का विकास भारी उद्योगों के साथ समन्वित एवं सन्तुलित ढंग से करेगी। यह दोनों सेक्टर एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किये जाएंगे।

प्रदेश में पारम्परिक उद्योग शताब्दियों से विद्यमान है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता का संरक्षण एवं विस्तार करने के साथ ही यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड तो हैं ही, राज्य से किये जाने वाले निर्यात में भी इनका बड़ा अंश है। इन उद्योगों को सुदृण किया जायेगा तथा प्रबन्धन, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग, डिज़ायनिंग तथा विपणन में सक्रिय सहयोग देते हुए इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

ऐसे उद्योगों को, जो मूलतः आर्थिक दृष्टि से वायबल हैं किन्तु विभिन्न कारणों से रूग्ण हो गए हैं, को पुनर्वासित व पुनर्जीवित किया जायेगा। स्थायी रूप से बन्द इकाईयों के लिये इक्जिट पालिसी/प्रकिया को निर्धारित किया जायेगा।

निर्यात को प्रोत्साहन

निर्यात न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है बल्कि वे स्थानीय उद्योगों के तकनीकी उच्चीकरण एवं उनके उत्पादों की गुणवत्ता के सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। प्रदेश सरकार, प्रदेश के निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये, सहायक एवं सहयोगी वातावरण सृजित करेगी।

प्रदेश में पूँजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों व प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में पूँजी निवेश की असीम सम्भावनाएं हैं। अपने उद्यमिता कौशल तथा योग्यताओं के कारण, उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने, विश्व भर में, न केवल ख्याति अर्जित की है, बल्कि आर्थिक सम्पन्नता भी प्राप्त की है। इन अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिये आकर्षित करने हेतु आकर्षक वातावरण सृजित किया जाएगा। उनके द्वारा निवेश को सरल बनाने के लिये, व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में यथावश्यक परिवर्तन किये जाएंगे।

ऊर्जा, सड़क, सेतु तथा अन्य अवस्थापना के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार केन्द्र सरकार की नीतियो के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेषी पूँजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करेगी तथा ऐसी परिस्थितियॉ सृजित करेगी ताकि उत्तर प्रदेश, भारत का श्रेष्ठ निवेश–गन्तव्य बन सके।

सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं सुरक्षित औद्योगिक वातावरण का सृजन

पूँजी एवं जीवन की सुरक्षा, उद्यमी की प्रमुख आवश्यकता होती है। राज्य सरकार प्रदेश में शान्ति एवं सुरक्षा का उच्च स्तरीय वातावरण सुनिश्चित करेगी। कानून व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था को उद्योगपरक बनाया जायेगा।

उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन 'त्वरित शिकायत निवारण कोष्ठ' (फास्ट ट्रैक ग्रीवेन्स रिड्रेसल सेल) की स्थापना कराई गयी है जिसको और अधिक सुदृढ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों के सुरक्षित औद्योगिक वातावरण के लिए यथावश्यकता विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुलिस चौकी, रिर्पोटिंग पुलिस चौकी तथा अग्निशमन केन्द्रो की स्थापना यथावश्यकता कराई जायेगी।

उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''औद्योगिक / व्यापारिक सुरक्षा फोरम'' का गठन किया गया है जिसके और अधिक प्रभावी बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उद्यमी एवं व्यापारी प्रदेश में अपने को पूर्णतः भयमुक्त एवं सुरक्षित महसूस करें इसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसे किये जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक विकास के प्रति संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र का निर्माण

प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को, उद्योगों के प्रति संवदेनशील बनाया जाएगा। कार्मिकों के दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन

विगत् कुछ वर्षो में, सेवा क्षेत्र का आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तीव्र आर्थिक विकास तथा भूमि पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिये, सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः इस नीति में सेवा क्षेत्र के और अधिक विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

उद्योगों को विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज

विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए, सम्बन्धित उद्योग समूह की सम्बंधित विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए पैकेज विकसित किये जायेगें।

औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल कर व्यवस्था

राज्य सरकार सतत् तौर पर सम्पूर्ण कर व्यवस्था की समीक्षा करती रहेगी, ताकि राज्य की कर–व्यवस्था, निवेशकों तथा उद्योगों की अपेक्षाओं को प्रतिबिम्बित् कर सके। इस दिशा में कई सार्थक प्रयास नीति में सम्मिलित किये जा रहे है।

अध्याय 3 – अवस्थापना सुविधाएं

अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में यथासंभव निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी तथा पूँजी–निवेश में भी भागीदारी की जाएगी, पर प्रयास यह होगा कि अधिकाँश अवस्थापना सुविधाएं निजी क्षेत्र में विकसित हों। निजी क्षेत्र में किसी आवश्यक अवस्थापना सुविधा के सम्भव न होने पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं उसकी स्थापना की जाएगी।

अवस्थापना सुविधाएं

यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। समस्त जनपद मुख्यालयों तथा औद्योगिक महत्व के राजमार्गो को चिन्हित कर उनका सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण किया जायेगा। राज्य के समस्त औद्योगिक महत्व के शहरों को आपस में सुदृढ़ीकृत मार्गो से जोड़ा जायेगा। नये राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्गों के कन्जेशन कम करने के लिये नये मार्गों को विकसित किया जायेगा तथा विश्व स्तरीय मानको के अनुसार एक्सप्रेस वेज का निर्माण कराया जायेगा। प्रदेश के चयनित बड़े राजमार्गो पर वे साईड सुविधाओं को विकसित कराया जायेगा। बडे शहरों में ईको फ्रेण्डली मैट्रो या रैपिड मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चालू कराये जायेंगे। ट्रॉसपोर्ट नगर, व्यावसायिक केन्द्रों व कन्टेनर डिपो का विकास कराया जायेगा। प्रदेश में रेलवे परिवहन सुविधाओं का विकास हेतु प्रयास किया जायेगा इसके साथ ही राज्य की विमानपत्तन अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

विद्युत ऊर्जा

इस सम्बन्ध में प्रदेश में लागू उर्जा नीति तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों को लागू किया जायेगा।

राज्य सरकार निम्न प्रोजेक्टों की स्थापना को बढ़ावा देगी:

(अ) परमाणु ऊर्जा,
(ब) लघु जल–ऊर्जा;
(स) गैर पारम्परिक उर्जा

उद्योगों की आपूर्ति हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से विद्युत वितरण तथा कैप्टिव पावर जनरेशन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति

राज्य सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। 132/220 के0वी0ए0 से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उद्योगो को सभी कटौतियों से मुक्त रखा जाएगा जब तक ग्रिड की सुरक्षा हेतु कटौती अवश्यम्भावी न हो। इसके लिये पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं को तदनुसार उच्चीकृत किया जाएगा। उद्योगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में अल्प समय **(अधिकतम 1–2 वर्ष अवधि) के लिए** आंशिक अथवा पूर्ण भार बिना किसी चार्ज़/सरचार्ज़ समर्पित किए जाने की सुविधा प्रदान कराई जाएगी।

औद्योगिक फीडरों को विद्युत कटौतियों से छूट

33/11 के.वी. उपकेन्द्र से निकलने वाले ऐसे फीडर जिन पर औद्योगिक भार 75 प्रतिशत से अधिक होगा, उन्हें औद्योगिक फीडर मानते हुए विद्युत कटौतियों से मुक्त रखा जाएगा। इन फीडरों पर यदि अन्य श्रेणी के उपभोक्ता हैं तो उन्हें अलग करने की व्यवस्था की जाएगी। उद्योगों द्वारा जिन डेडिकेटेड फीडरों का निर्माण अपने व्यय पर किया गया है उन्हें किसी भी दशा में अन्य उपयोंगों के लिये ''टैप'' नही किया जाएगा। केवल उन्ही स्थितियों में यह छूट प्रदान की जाएगी जहॉ वर्तमान नियमों के अनुसार सम्बंधित उद्योग स्वयं किसी अन्य औद्योगिक इकाई के साथ पारस्परिक अनुबन्ध करके ''टैपिंग'' की अनुमति प्रदान करता है।

उद्यमियों को विद्युत भार के समर्पण व बृहदीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया से अनुमति दी जायेगी।

समस्त नई ईकाइयों को दस वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दी जायेगी। पायनियर घोषित की गई समस्त इकाईयों को यह छूट पन्द्रह वर्ष के लिए अनुमन्य होगी।

दूर संचार

औद्योगिक क्षेत्रों/विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों/नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इनवेस्टमेंट जोन/औद्योगिक क्लस्टरों में आवश्यकता पड़ने पर केस–टू–केस आधार पर टेलीफोन एक्सचेंज/टेलेकॉम सैंटर बनाने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जायेगी और बी0एस0एन0एल0 द्वारा एक्सचेंज की स्थापना में यथोचित् सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दिये जाने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार भू–अर्जन में सुविधा प्रदाता का कार्य करेगी।

जलापूर्ति, जल–निकासी, मल व अपशिष्ट व्ययन

उद्योगों को जलापूर्ति प्राथमिकता पर कराया जायेगा। इसके साथ ही औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी एवं मल व अपशिष्ट व्ययन की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने की प्राथमिकता दी जायेगी।

वाणिज्यिक संसाधन

विभिन्न नगरों में कन्टेनर डिपो, ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश की विपणन की सुविधाओं विशेष रूप से थोक बाजारों, ट्रान्सपोर्ट नगरों व एकीकृत ट्रान्सपोर्ट–कम–व्यापारिक केन्द्रों का विकास कराया जायेगा।

निजी क्षेत्र में कन्वीनियन्स स्टोर्स की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। एक जनपद में इसी आधार पर विभिन्न स्थानों पर कन्वीनियन्स स्टोर्स का निर्माण अनुमन्य होगा।

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तर्ज पर निजी/संयुक्त क्षेत्र में एक बड़े भू–क्षेत्र पर ट्रेड सेंटर स्थापित कराया जायेगा जहॉ पर औद्योगिक उत्पादों के डिस्प्ले के साथ विक्रय की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी। इस व्यापार केन्द्र में सिटी बस की सेवा, टेलीफोन, डाक घर, पुलिस चौकी, पक्के सम्पर्क मार्ग, जल निकासी, विद्युत प्रकाश आदि की सुविधाएं विकसित की जायेगी

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के औद्योगिक क्षेत्रों में निजी/संयुक्त क्षेत्र में डिस्प्ले कम सेल्स सेंटर स्थापित कराये जायेंगे। इस केन्द्र पर औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पाद निर्धारित शुल्क पर रखने की व्यवस्था की जायेगी।

केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश की क्रय नीति् को वैधानिक रूप दिया जायेगा जिसके अंतर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से न्यूनतम 30 प्रतिशत क्रय किये जाने पर बल दिया जायेगा। टेण्डर जारी करने वाले विभागों का यह वैधानिक दायित्व होगा कि टेण्डर हेतु प्रकाशित सूचना में अमानत धनराशि व जमानत धनराशि जमा करने में प्रदेश की इकाईयों को छूट प्रदान करने, मूल्य वरीयता तथा क्रय वरीयता दिये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख प्रकाशित करें ताकि उद्यमी उसी के अनुसार टेण्डर जमा कर लाभ उठा सके।

नगरीय हाट तरीके के बाज़ार कवाल टाउन्स में बनाये जाने की योजना जारी रखी जायेगी जहॉ पर प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को डिस्प्ले एवं विक्रय दोनों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। यह हाट निजी क्षेत्र के प्रबंधन में विकसित कराये जायेंगे।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागी उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा परिवहन लागत व मेला क्षेत्र किराये का 50 प्रतिशत वहन किये जाने व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित उद्यमी/इकाई को वहन करने की योजना जारी रहेगी। जहॉ केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य लाभकारी योजनाओं के अन्तर्गत भाग लेने की सम्भावना होगी तथा यदि इस योजना में प्राप्त प्रतिदान 50 प्रतिशत से अधिक है वहॉ उद्यमी/इकाई को उस योजना का लाभ लेने की अनुमति होगी जहॉ किसी अन्य योजना में प्राप्त प्रतिदान 50 प्रतिशत से कम है तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा पूर्ववत् की जायेगी।

औद्योगिक सुरक्षा

उद्योग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत् पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एक पुलिस महानिरीक्षक को पूर्ण कालिक रूप से नामित करते हुए **त्वरित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करायी गयी है जिसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा जो व्यापार कर में** पंजीकृत उद्यमियों व व्यापारियों के विरूद्ध अपराधों की गहन समीक्षा करेंगे। उद्यमी/व्यापारी इन्हें सीधे अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे। पुलिस महानिरीक्षक यह निर्धारित करेंगे कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योगों, उद्यमियों व व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और तदानुसार आवश्यक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए पुलिस थानों/ चौकियों का सृजन किया जायेगा। इन पुलिस थानों/ चौकियों पर स्टाफ की बढोत्तरी करने व कम्प्यूट्रीकरण, वाहन व अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया जायेगा।

किसी औद्योगिक इकाई, उद्यमी या व्यवसायी द्वारा यदि अपनी सुरक्षा के संबंध में मॉग की जाती है तो उन्हें भुगतान के आधार पर होम गार्ड/पुलिस उपलब्ध कराई जायेगी।

उद्योगो की आवश्यकताओं के दृष्टिगत् औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक आस्थान का विकास निजी क्षेत्र में भी कराया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों में मनोरंजन क्लब/व्यावसायिक केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन अनुमन्य किया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों में आंवटन की तिथि को जो एग्रीमेंट लीज डीड निष्पादित करायी जायेगी उन शर्तों में औद्योगिक इकाई के हितों के विपरीत परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों के मूल्य, हस्तान्तरण शुल्क, विलम्ब से निर्माण पर दण्ड, आदि विभिन्न प्रकार की दरों को युक्तिसंगत तथा उद्योगपरक बनाया जायेगा।

औद्योगिक आस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री–होल्ड किया जायेगा

मिनी औद्योगिक आस्थानों/क्लस्टर में कार्यशाला के साथ आवासीय सुविधा नीतिगत रूप से अनुमन्य की जायेगी। जो मिनी औद्योगिक आस्थान वर्तमान में स्थापित है, उनमें भी उक्त सुविधा अनुमन्य की जायेगी।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र एवं नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इन्वेस्टमेन्ट जोन

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना हेतु कतिपय सुविधाऐं प्रदान करने की नीति बनाई गई है। राज्य में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इन परिक्षेत्रों में उद्यमियों को नीति के अंतर्गत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायेगी।

नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग पालिसी के अन्तर्गत नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इन्वेस्टमेन्ट जोन में केन्द्र सरकार के नीतियों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। राज्य में प्रथम चरण में तीन नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग इन्वेस्टमेन्ट जोन की स्थापना भी कराई जायेगी। आवश्यकतानुसार इसी प्रकार के और भी परिक्षेत्र विकसित किये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना तथा दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना प्रदेश कई जनपदो से होकर गुजरेगी। इन जनपदों में लॉजिस्टिक हब का विकास कराया जायेगा।

बायो–टैक्नोलॉजी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

प्रदेश का सर्वप्रथम जैव–प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वृहत्तर क्षेत्रफल में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अन्य जैव–प्रौद्योगिकी पार्को/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

गैस पाइप लाइन

यह प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में पाईप से गैस की सुविधा, विशेष रूप से उद्योगों को प्राप्त हो सके।

अध्याय 4 – वित्तीय अनुदान एवं छूट

4.1 औद्योगिक निवेष को आकर्षित करने एवं उद्योगो के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेगे।

4.2 स्टैम्प डयूटी से छूट

4.2.1 पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों में स्थापित होने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयो तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिग्रहण की दशा में स्टैम्प शुल्क से शत प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

4.2.2 पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में स्थापित की जाने वाली सभी नई इकाइयों तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि का अधिग्रहण किये जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

4.2.3 स्टैम्प अधिनियम 1899 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) में नियमानुसार देय स्टैम्प शुल्क से अधिक जमा किये गये स्टैम्प शुल्क की वापसी का प्राविधान किया जायेगा।

टिप्पणी– विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसके द्वारा विस्तारीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लाट, मशीनरी, स्पेयर पार्टस, कैपिटल गुडस में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाये तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि की जाये।

4.2.4 सम्पत्ति के टाईटिल डीड को किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत बंधक रखने हेतु स्टैम्प शुल्क की दर रुपये 2 प्रति हजार जारी रखा जाएगा।

4.2.5 बैंक गारंटी हेतु स्टैम्प शुल्क को रूपये 2 प्रति हजार (अधिकतम रुपये 10,000/–) की दर को जारी रखा जायेगा।

4.2.6 उद्योग से संबंधित चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुबंध पर स्टैम्प शुल्क की दर रूपये 2 प्रति हजार को जारी रखा जायेगा।

4.2.7 ऐसी मारगेज (Mortgage) डीड, जिसमें सम्पत्ति मारगेज तो की जाती है, किन्तु उसका कब्जा नहीं दिया जाता है, पर स्टैम्प शुल्क की दर रूपये 2 प्रति हजार जारी रखा जाएगा। जब किसी कारण उक्त सम्पत्ति का कब्जा मारगेज के कारण लिया जाए तब उस पर स्टैम्प शुल्क सम्पत्ति के कब्जे के हस्तान्तरण के अनुरूप लिया जायेगा ।

4.2.8 कोलेटरल सिक्योरिटी हेतु स्टैम्प शुल्क की दर रूपये 2 प्रति हजार जारी रखी जायेगा।

टिप्पणी– प्रस्तर 4.2.4 से प्रस्तर 4.2.8 तक के प्राविधानों में दी गयी रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ही प्राप्त होगे।

4.2.9 निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक आस्थान के लिए विकासकर्ता को भूमि के क्रय करने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयो को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिग्रहण की दशा में स्टैम्प शुल्क से शत प्रतिशत छूट

उपलब्ध कराई जायेगी। पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों में स्थापित होने वाली सभी नई इकाइयों को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि का अधिग्रहण किये जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

4.3 पंजीकरण शुल्क मे छूट

समस्त औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण शुल्क रू. 2 प्रति हजार(अधिकतम रू. 5000) जमा करने पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.4 वाणिज्य कर विभाग से संबंधित छूट तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्राविधान

सभी औद्योगिक इकाइयों को पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के समस्त चिन्हित जनपदों में **उत्पादन प्रारम्भ करने की प्रथम तिथि से** 15 वर्ष के लिये तथा अन्य क्षेत्रों में **उत्पादन प्रारम्भ करने की प्रथम तिथि से** 10 वर्ष तक के लिये प्लान्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर से छूट दी जायेगी।

उ0प्र0 में वैट की दर पड़ोसी राज्यों विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं बिहार के समतुल्य रखी जायेगी।

बिक्री हेतु वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाले सभी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य सामग्री, पार्टस, कम्पोनेन्ट्स, सहायक सामग्री, पैकिंग सामग्री पर वैट की दर 4 प्रतिशत रखी जाए।

4.5 मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्राविधान

सभी ऐसी नयी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिनमें **भूमि, भवन,** प्लांट मशीनरी पार्टस व कैपिटल गुडस में किया गया **पूँजी निवेश रू. 5 करोड़ या अधिक हो** को 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

ऐसी इकाइयों के कच्चे माल के क्रय पर मण्डी अधिनियम की धारा 17–ए के अन्तर्गत छूट दिये जाने हेतु वर्तमान प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सभापति मण्डी समिति एवं महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सदस्य होंगे। समिति समयबद्ध रूप से मंडी शुल्क एवं विकास सेस से छूट के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेगी।

मंडी अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा तथा समयवद्ध स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

किसी निर्माता इकाई द्वारा यदि मंडी क्षेत्र के अन्दर निर्मित माल के क्रय/विक्रय का कोई संब्यौहार मंडी क्षेत्र में नही किया जाता है वरन् निर्मित माल प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु स्थानान्तरित (स्टाक ट्रांसफर) कर दिया जाता है तथा स्टॉक ट्रांसफर के प्रमाण में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6–क में प्राविधानित फार्म 'एफ' दाखिल कर दिया जाता है तो इसे मंडी अधिनियम की धारा 17 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत समुचित साक्ष्य माना जायेगा।

4.6 भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा भू–हस्तानान्तरण शुल्क से छूट

भू–हस्तांतरण, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क को औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये और अधिक युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

4.7 अन्य वित्तीय प्राविधान

ब्याज मुक्त ऋण–

सभी नयी औद्योगिक इकाइयों अथवा यथापरिभाषित विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें यथापरिभाषित स्थायी पूँजी निवेश रू. 1 करोड़ या अधिक हो उनको प्रथम बिक्री की तिथि से दस वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट, केन्द्रीय बिक्री कर व प्रवेश कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद देय होगा।

विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को पिछले तीन वर्षो में अधिकतम विक्रय धन से अधिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये वैट केन्द्रीय बिक्री कर व प्रवेश कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा अधिक बिक्री (incremental sale) पर 10 प्रतिशत जो भी कम हो की सीमा तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

पाइनियर इकाई– किसी जनपद की चिंहित प्रथम इकाई को पायनियर इकाई माना जायेगा तथा ऐसी इकाई को प्रथम बिक्री की तिथि से 15 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान ऋण वितरण के 10 वर्ष बाद देय होगा।

500 करोड़ रूपये से अधिक पूँजी निवेश वाले प्रोजेक्ट्स पर केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) के वित्त–पोषण हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों का पुनर्जीवीकरण किया जायेगा।

अध्याय 5 – विनियमीकरण

5.1 सामान्य नीति

स्व–प्रमाणन (Self Certification) करने व अनुमोदित तीसरी पार्टी से जाँच की व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

शिकायतों के आधार पर जाँच के प्रकरणों को छोड़कर प्रदेश में रैण्डम आधार पर चयनित औद्योगिक इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा तथा कई विभागों के अधिकार कुछ अधिकारियों को निरीक्षण के संबंध में प्रतिनिधानित कराये जायेंगे।

शिकायत के आधार पर जाँच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही की जायेगी।

विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत रखे जाने वाले रिकार्डो व भरे जाने वाले रिटर्नो का अध्ययन कर उन्हें यथासम्भव युक्तिसंगत व एकजाई करते हुए न्यूनतम संख्या में लाया जायेगा।

प्रदेश प्रशासन तन्त्र को उद्यमियो के प्रति सहयोगी एव मार्गदर्शक बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

5.2 एकल मेज व्यवस्था/ निवेश मित्र व्यवस्था

उद्योग बन्धु द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को मिल रही सुविधाओं/ अनुमतियों का सरलीकरण किया जाएगा, पारदर्शिता लायी जाएगी तथा समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी /मण्डलायुक्त /औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों का अभिमत उद्योगों से संबंधित अन्य विभागों की वार्षिक प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

5.3 श्रम प्राविधानों का सरलीकरण

''औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947'', ''संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970'' ''कारखाना अधिनियम, 1948'' व अन्य श्रम कानूनों में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक संशोधनों को चिन्हित किया जायेगा तथा भारत सरकार से उन्हें लागू कराने का प्रयास किया जायेगा।

कॉल सेन्टर्स, मल्टीप्लैक्सेस, शापिंग काम्प्लेक्सेस व अन्य इस प्रकार की चौबीसों घण्टे कार्यरत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एक्ट, 1962 में आवश्यक संशोधन किए जायेंगे।

5.4 प्रदूषण प्राविधानों का सरलीकरण

राज्य के प्रदूषण जोन को इंगित करते हुए समय–समय पर एटलस तैयार कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा जिससे नये उद्योगों को स्थल चयन में सुविधा हो।

अप्रदूषणकारी उद्योग, जिन्हें विशेष रूप से चिह्नित किया जायेगा, को बिना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की औपचारिकताऐं पूर्ण किये ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की औपचारिकताऐं साथ–साथ पूरी की जा सकेंगी। यदि ऐसे उद्योगों के आवेदन पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई आपत्ति है तो उस पर कार्यवाही राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी।

5.5 अन्य विनियमीकरण प्रस्ताव

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली अति प्रदूषणकारी उद्योगो को छोड़कर शेष औद्योगिक इकाईयों द्वारा अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित भवन मानचित्र सम्बंधित विकास प्राधिकरण में दाखिल करने पर ही स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे ।

औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक आस्थानों में भू–स्वामित्व विवाद से उद्यमियों को छुटकारा दिलाया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा उद्यमियों को आवंटित/बेची गयी भूमि के स्वामित्व पर यदि कोई वाद उठता है, तो यह वाद प्राधिकरण के ऊपर कायम किया जायेगा अर्थात इस वाद की कार्यवाही उद्यमी पर नहीं होगी।

भूखण्ड के निरस्तीकरण के पूर्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिभार/देयक के सम्बंध में जानकारी करना आवश्यक किया जायेगा एवं वित्तीय संस्थानों के सहमति के बिना भूखण्ड का निरस्तीकरण नही किया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में भूखण्ड/शेड आवण्टन के जिन प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा आवण्टी के स्तर पर किसी त्रुटि या उल्लंघन के बगैर किसी अन्य कारण से आवण्टन निरस्तीकरण किया जाता है, उनमें उद्यमियों द्वारा जमा की गई धनराशि भारतीय स्टैट बैंक द्वारा निर्धारित वेस रेट पर व्याज सहित वापस की जायेगी।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा भविष्य में विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थित भूमि का अधिग्रहण कराये जाने से उद्योगों का विस्तारीकरण रूक जाता है तथा उद्यमियों का समय तथा धन भूमि अवमुक्त कराने हेतु अपव्यय होता है। एतद्पश्चात् ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि संस्था के पास उसकी आवश्यकता से अधिक भूमि है तथा भूमि अधिग्रहीत किया जाना जनहित में आवश्यक हो तो उद्योग निदेशक से आवश्यकता न होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए।

भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था समयबद्व रूप में निर्धारित की जायेगी ताकि औद्योगिक परियोजनांए समय से स्थापित करायी जा सकें जिससे पूँजी निवेश को बढ़ावा मिल सके।

उद्योगों के लिए भूमि का पुनर्ग्रहण प्राथमिकता पर किया जायेगा। भू–उपयोग परिवर्तन को सरलीकृत किया जायेगा तथा आवेदन करने के 30 दिन के उपरांत (आवेदन निस्तारित न होने की दशा में) भू–उपयोग स्वतः परिवर्तित माना जायेगा।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली देय ऋण एवं ब्याज की वसूली में वसूली शुल्क एवं स्टैम्प की दरें युक्तिसंगत निर्धारित करायी जायेगी। इस प्राविधान में जारी किये गये वसूली प्रमाण–पत्र के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा वसूल की गई धनराशि अथवा वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् एकमुश्त समाधान में प्राप्त धनराशि पर ही वसूली चार्जेज लगाये जायेंगे। इसी प्रकार धारा–29 के अंर्तगत् वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं ब्याज की वसूली में बेची गयी सम्पत्ति के केवल विक्रय मूल्य पर ही स्टैम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाये जायेंगे। ऐसी सम्पत्तियों के विक्रय में जनपद का सर्किल रेट संज्ञान में नही लिया जायेगा।

उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों पर स्थापित कम्प्यूटर सेन्टरों को सुदृढ़ किया जायेगा ताकि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का अदान–प्रदान तथा उद्यमियों को समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके।

मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर स्वयं प्रत्येक तीन माह में एक बार उद्योग बन्धु की बैठक की जायेगी।

प्रदेश सरकार प्रत्येक उद्यमी के साथ सम्मान का व्यवहार करने का आश्वासन देती हैं। सभी उद्यमियों को विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में देखा जायेगा तथा हर स्तर पर उन्हें सहयोग एवं आदर प्रदान किया जायेगा। विशिष्ट उद्यमियों को ''**वी.आई.पी.कार्ड**'' की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि हर सरकारी कार्यालय में उन्हें निर्विध्न प्रवेश एवं प्राथमिकता प्रदान की जाए। अतिविशिष्ट योगदान देने वाले उद्यमियों की सेवाओं को पुरस्कृत करने की व्यवस्था आरम्भ की जायेगी।

अध्याय 6 – निर्यात प्रोत्साहन

6.1 निर्यात आयुक्त कार्यालय का सुदृढीकरण

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को निर्यातकों के सहयोग एवं सूचना हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र–बिन्दु के रूप में और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

6.2 अन्य प्रस्ताव

रुपये 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर के प्रत्येक निर्यातक को किसी एक सार्वजनिक सेवा को गोद लेने और उसके रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उक्त सार्वजनिक सेवा को, गोद लेने वाले निर्यातक के नाम किया जायेगा। निर्यातकों की संस्थाओं को स्थानीय व राज्य स्तर आयोजित बैठकों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

निर्यात हेतु भेजे जाने वाले कस्टम सील्ड कन्साइनमेंट की चेकिंग किसी भी विभाग द्वारा परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर गंतव्य स्थान पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को सूचित कर ही जाँच की जाएगी। यदि कोई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको अनिवार्य रूप से दण्डित किया जायेगा।

निर्यातकों को ''**ग्रीन कार्ड**'' सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसके आधार पर व्यापार–कर चुंगियों व चेक पोस्टों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

अध्याय 7 – उद्योग विशेष नीतियाँ

(उद्योग विशेष की नीतियॉ सम्बन्धित विभागो द्वारा अलग से पारित कराया जायेगा)

7.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

7.2 हथकरघा उद्योग

7.3 खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग

7.4 सूचना–प्रौद्योगिकी उद्योग

7.5 जैव–प्रौद्योगिकी उद्योग

7.6 खनिज उद्योग

7.7 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

7.8 पर्यटन उद्योग

7.9 सौर ऊर्जा नीति

7.10 ऊर्जा नीति

अध्याय 8 – सेवा क्षेत्र के लिए नीति

राज्य सरकार सेवा क्षेत्र के उपक्रमों यथा, चिकित्सालयों, मेडिकल व डेन्टल कॉलेजों, शिक्षण संस्थाओं, काल सेन्टरों, मल्टीप्लैक्स्, सिनेमाघरों, शॉपिंग माल्स, एन्टरटेनमेंट सेन्टर्स इत्यादि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देती रहेगी तथा राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित अनापत्ति /अनुज्ञा प्राथमिकता के आधार पर निर्गत की जायेगी।

सेवा क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो निम्नलिखित श्रेणी में आच्छादित है, को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिग्रहण की दशा में स्टैम्प शुल्क से शत प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जाती रहेगी, और रु0 2 प्रति हजार (अधिकतम रु. 5,000/–) की दर पर निबन्धन सुविधा उपलब्ध कराई जाती रहेगी :–

(क) प्रदेश में किसी भी भाग में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे मल्टी फैसीलिटी चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 100 बेड है और जिनमें चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रयुक्त क्षेत्रफल निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ख) प्रदेश में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त अतिविशिष्टतायुक्त चिकित्सालय।

(ग) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसी चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 50 बेड की हो।

(घ) विकास खण्ड मुख्यालय से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 30 बेड हो।

(ड़) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित ऐसे तकनीकी/सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रबंधन संस्थान जिनमें शिक्षारत छात्रों /प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या 75 हो और जिनमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार एवं भारत सरकार अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड समिति इत्यादि द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो।

(च) निर्धारित सुविधाओं से युक्त तथा निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले ऐसे मैडीकल व डेन्टल कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थायें जिनमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार एवं भारत सरकार अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड समिति इत्यादि द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो, मल्टीप्लैक्स् सिनेमाघर, शॉपिंग मालस् व ऐन्टरटेनमेंट सेन्टर्स जिनमें भवन और मशीनरी में कुल लागत रु0 10 करोड़ से कम न हो।

उपरोक्त प्रयोजनों हेतु यदि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो पूर्ववत् अधिग्रहण शुल्क से छूट तथा विकास प्राधिकरणों / स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले विकास शुल्क, मलबा शुल्क से छूट जारी रहेगी।

उपर्युक्त प्रकार के पूँजी निवेश हेतु प्रयुक्त कैपिटल गुडस, पार्टस व एक्सेसरीज, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि पर प्रवेश कर से छूट जारी रहेगी।

उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु स्थापना की तिथि से 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट दी जायेगी।

अध्याय 9 – प्रशिक्षण

9.1 उद्यमियों का प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास

प्रदेश की तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे– आई0टी0आई0, जी0टी0आई0 की विशेषज्ञता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित की जायेगी जिसके अंतर्गत उद्योगों के कर्मचारी बिना प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उद्योगों के कर्मचारियों का 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखो–कमाओं योजना प्रभावी ढंग से लागू की जायेगी। आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट कमेटी गठित कराकर ऐसे अधिकार दिये जायेंगे कि ऐसे संस्थाओं में संसाधनो की कमी न रहे तथा प्रशिक्षित कर्मियों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश में चल रहे आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को ख्यातिप्राप्त औद्योगिक घरानो द्वारा एडाप्ट करने की अनुमति दी जायेगी।

आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर भी विकसित किया जायेगा।

श्रम विभाग के अन्तर्गत लेबर मार्केट इंफारमेंशन सेल का गठन किया जायेगा जो सेवायोजकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इस सेल में श्रम बाजार, तकनीकी मांग तथा तकनीकी व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने की क्या सुविधा है आदि दिग्दर्शित किया जायेगा।

श्रम विभाग के अन्तर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कराई जायेगी।

सेवा क्षेत्र में भी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी।

मानव संसाधन के विकास में श्रम शक्ति की आवश्यकता का आंकलन कर कुशल योग्यता प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों की मांग के अनुसार पूर्ति कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए ब्रिज कोष विशेष क्षेत्र विशेषज्ञ संस्थायें विकसित करायी जायेंगी। ऐसी संस्थाएं क्लस्टर के क्षेत्रों में स्थापित कराये जायेंगे। यह सभी कार्य प्राविधिक शिक्षा निदेशालय निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के एकीकृत सहयोग से कराया जायेगा। स्थानीय स्तर पर उद्योग बुद्धिजीवियों तथा सरकार के सहयोग से आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार कराये जायेंगे ताकि जो प्रशिक्षण दिया जाए वह व्यापार एवं उद्योगों के अनुसार बन सके।

अध्याय 10 – अनिवासी भारतीय निवेश

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में पूँजी निवेश की असीम सम्भावनाएं हैं। अपने उद्यमिता कौशल तथा योग्यताओं के कारण, उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने, विश्व भर में ख्याति अर्जित की है। इन अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिए, आकर्षित करने हेतु आकर्षक वातावरण सृजित किया जायेगा। उनके द्वारा निवेश को सरल बनाने के लिए, व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में यथावश्यक परिवर्तन किये जाएंगे।

ऊर्जा, सड़क, सेतु तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार सीधे पूँजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करेगी तथा ऐसी परिस्थितियाँ सृजित करेगी ताकि उत्तर प्रदेश, भारत का श्रेष्ठ निवेश–गन्तव्य बन सके।

उत्तर प्रदेश मूल के अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में अधिक–से–अधिक निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। यह निवेश, भूमि विकास, अवस्थापना, खनन् एवं सेवा क्षेत्र में आमन्त्रित किया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों को प्रथम चरण की सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा समन्वय प्रदान करने का कार्य उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली को प्रवासी मंत्रालय, भारत सरकार के ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेक्टर का सदस्य भी बनाया जायेगा।

एन.आर.आई./पी.आई.ओ. को प्रदेश स्तर पर पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उ0प्र0 के अंतर्गत गठित त्वरित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम के माध्यम से उनकी शिकायतों का निवारण कराया जायेगा। अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।

अध्याय 11 – बीमार इकाईयों का पुनर्वासन

11.1 रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास की नीति

ऐसे उद्योगों को, जो मूलतः आर्थिक दृष्टि से वायबल हैं किन्तु विभिन्न कारणों से रूग्ण हो गए हैं, को पुनर्वासित व पुनर्जीवित किया जायेगा। रूग्ण इकाईयों को सरकार की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत सुविधायें प्रदान की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त पुनर्वासन हेतु लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एक फण्ड का सृजन किया जायेगा जिससे रूग्ण इकाईयों को वांछित प्रारम्भिक पूँजी की सहायता आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जा सके।

स्थायी रूप से बन्द इकाईयों के लिये इक्जिट पालिसी/प्रक्रिया को निर्धारित किया जायेगा।

अध्याय 12 – अनुश्रवण

12.1 राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

इस नीति के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1	मुख्य सचिव, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, राजस्व, उ.प्र. शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ.प्र. शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ.प्र. शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ.प्र. शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवम् निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
11	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र.	सदस्य
12	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु	सदस्य/समन्वयक

आवश्यकतानुसार अध्यक्ष अन्य अधिकारियों को इसमें विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करेंगे।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति प्रत्येक माह के एक निर्धारित दिवस को एक बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में समिति इस नीति के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगी और यथा–आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। समिति नीति के क्रियान्वयन में बाधा पैदा करने वाले कारकों को चिह्नित कर उनके निराकरण के उपाय निर्धारित करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति नीति के शिथिल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेगी।

12.2 उद्योग बन्धु

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा उद्योग बन्धु के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। उद्योग/व्यापार से सम्बन्धित विभागों/क्षेत्रों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ऐसे विभाग/क्षेत्र विशेष के जानकार व्यक्तियों को उद्योग बन्धु में नियुक्त किया जायेगा। उद्योग बन्धु द्वारा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के सलाहकार की भूमिका निभाई जायेगी। इस कार्य के लिए उद्योग बन्धु, जनपद/मण्डल स्तरीय समितियों से सूचना प्राप्त कर इसका संकलन व विश्लेषण कर राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों हेतु प्रस्तुत करेगा।

☆☆☆☆☆